राजस्थान विधान सभा का कार्यवाही वृतान्त

अंक 4 नवम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तेरहवां दिवस संख्या 3

बुधवार

दिनांक 6 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य के विस्तृत वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), 1991-92 का उपस्थापन करेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : राजस्थान के लोग इस बजट भाषण को नहीं सुनना चाहते। अभी जब इन्होंने रखा था अभिभाषण उसको नहीं पढ़ा, इसलिये राजस्थान के लोग इस बजट भाषण को नहीं सुनना चाहते। जो उस समय बातें हुई आपने उनको एक्सपंज कर दिया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं कहता हूं, इसको भी आप एक्सपंज कर दीजिए जब तक यह फैसला नहीं हो जाता, हमारा यह राजस्थान आपके इस बजट भाषण को सुनने के लिये तैयार नहीं है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिये। बैठिये। माननीय सदस्य। अंकित मत करो। आर्डर प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : X X X

आय व्ययक 1991-92

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय व्ययक-अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. दिनांक 27 जून, 1990 को इस सदन के सम्मुख वर्ष 1990-91 के परिवर्तित आय--व्ययक अनुमान प्रस्तुत करते समय मैंने शासन की आर्थिक नीति का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया था। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि राज्य के प्रशासनिक व्यय में कमी करने के विषय में मैंने आशा व्यक्त की थी कि इस व्यय में प्रति वर्ष लगभग 30 करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी।

3. इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि चालू वित्तीय

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वर्ष में विभिन्न विभागों के व्यय की स्थिति एवं कार्यकलापों की समीक्षा की गई है। इन सभी प्रयासों से प्रतिवर्ष लगभग 34 करोड़ रुपये की बचत होने की आशा है। प्रशासनिक व्यय एवं विभागों के कार्य-कलापों के परीक्षण की प्रक्रिया अभी निरन्तर जारी है और यह आशा है कि भविष्य में इन प्रयासों के और अच्छे परिणाम आएंगे। इस मितव्ययिता से भी कहीं अधिक उल्लेखनीय बात यह रही है कि इस प्रकार के प्रयासों के फलस्वरूप हम अनावश्यक एवं अनुत्पादक खर्चों को कम करने का वातावरण सृजित करने में सफल हुये हैं।

4. राज्य की विकास योजनाओं को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु हम साधनों के अधिकाधिक सदुपयोग का प्रयत्न तो कर ही रहे हैं किन्तु बहुत से ऐसे बिन्दु हैं जिन पर भारत सरकार के द्वारा ही सुधार किया जा सकता है। मैंने मध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा कर सामुहिक हित के केन्द्रीय सरकार से संबंधित आर्थिक एवं विकास से संबंधित बिन्दुओं पर एक संयुक्त प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है। इसकी प्रति मैं माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु सदन के पटल पर रखा रहा हूं। इस विषय में मैं अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहा हूं।

5. भारत सरकार की कुछ वित्तीय नीतियों से राज्यों के संसाधनों पर निरन्तर अतिक्रमण हो रहा है। प्रतिवेदन में यह प्रस्तावित किया गया है कि कारपोरेशन टैक्स के माध्यम से संगृहीत राशि भी राज्यों में उसी प्रकार अनिवार्यतः विभाजित की जानी चाहिये जैसा कि आयकर से प्राप्त होने वाली राशी के सम्बन्ध में किया जाता है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर अधिभार न लगाया जाये एवं वर्तमान में लगाये गये अधिभार को इन करों के आधारभूत ढांचे में समावेशित किया जावे ताकि राज्यों को इन करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में से मिलने वाले हिस्से में वृद्धि हो सके। केन्द्र सरकार से यह भी आग्रह किया गया है कि प्रशासित मूल्यों में वृद्धि करने के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि इस वृद्धि का लाभ राज्यों को भी प्राप्त हो सके। यदि प्रशासित मूल्यों में वृद्धि की जाती है तो संगृहीत अतिरिक्त राजस्व, राज्यों के मध्य विभाजित किया जाना चाहिये। किसी अन्य वस्तु को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की सूची में जोड़ने का हमने विरोध किया है क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के तहत प्राप्त होने वाली राशि की तुलना में राज्यों को बिक्री कर से प्राप्त राजस्व से अधिक लाभ होता है। केन्द्र सरकार से पुरजोर मांग की गई है कि खेप पर शीघ्रातिशीघ्र लगाया जावे ताकि संचयी प्रकृति की तथा स्थायी रूप से होती जा रही राजस्व की हानि से बचा जा सके। हमारी यह भी मांग है कि विदेशी सहायता से हमारे द्वारा चलायी जाने वाली परियोजनाओं को सहायता विदेशी संस्थाओं द्वारा निश्चित शर्तों पर ही राज्य सरकार को मिलनी चाहिये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

6. हमारा राज्य अल्प बचत के क्षेत्र में अग्रणी है। इस मद से संगृहीत राशि के 75 प्रतिशत के बराबर राज्य सरकारों को दिया जाने वाले ऋण की राशि को बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने की मांग केन्द्र सरकार से की गई है, ताकि राज्यों को विकास कार्य हेतु अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

7. इन मुद्दों के अलावा अन्य अनेक महत्वपूर्ण विषय यथा वन नीति, खनन नीति, उद्योग नीति, ऊर्जा एवं अन्य विकास कार्यों को भी संयुक्त प्रतिवेदन में शामिल किया गया है, ताकि राज्यों के विकास एवं उन्नति के पथ में आने वाली बाधाओं व अवरोधों का निराकरण किया जा सके। मेरा विश्वास है कि उक्त बिन्दुओं पर सही निर्णय होने पर राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे। आशा है कि इस विषय में मुझे इस सदन का निश्चय ही समर्थन प्राप्त होगा।

आर्थिक समीक्षा

8. माननीय सदस्यों को आय-व्ययक अध्ययन में सम्मिलित आर्थिक समीक्षा पृथक से वितरित की जा रही है। इसमें राज्य की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं तत्सम्बन्धी आर्थिक सूचकांक दर्शाये गये हैं।

9. स्थिर मूल्यों (1980-81) पर वर्ष 1990-91 के शुद्ध घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों के आधार पर पूर्व वर्ष 1989-90 के प्रारम्भिक अनुमानों की तुलना में 7.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 1989-90 में इससे पूर्व वर्ष की तुलना में 2.9 प्रतिशत की कमी हुई थी।

10. इस प्रकार, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 1990-91 के शुद्ध घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमान, वर्ष 1989-90 के प्रारम्भिक अनुमानों की तुलना में 20.3 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि वर्ष 1988-89 की तुलना में वर्ष 1989-90 में यह वृद्धि केवल 10.9 प्रतिशत ही थी।

11. प्रति व्यक्ति आय में भी, वर्ष 1990-91 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1989-90 की तुलना में, स्थिर (1980-81) मूल्यों के आधार पर 4.6 प्रतिशत वृद्धि अंकित होने का अनुमान है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर यही वृद्धि 17.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

वार्षिक योजना 1991-92

12. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के आकार में, उससे पूर्व वर्ष की योजना की तुलना में यथेष्ट वृद्धि हुई थी। हम न केवल इस योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, बल्कि उससे भी अधिक उपलब्धि प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि योजना आयोग द्वारा राज्य की वर्ष 1991-92 की योजना का आकार 1166 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वस्तुतः वर्ष 1990-91 की योजना की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत अधिक है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

13. वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत मदवार आवंटन का विस्तृत विवरण आय-व्ययक अनुमानों में दर्शाया गया है। इसके अवलोकन से माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि कुछ प्रमुख मदों में वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 में आवंटन बढ़ा है। विद्युत् के क्षेत्र में 238.41 करोड़ रुपये के स्थान पर 317.51 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण हेतु 182.73 करोड़ रुपये के स्थान पर 232.57 करोड़ रुपये, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 237.45 करोड़ रुपये की तुलना में 288.14 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 57.15 करोड़ रुपये की तुलना में 74.84 करोड़ रुपये तथा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं हेतु 82.67 करोड़ रुपये की तुलना में 97.03 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

14. गत बजट भाषण में मैंने माननीय सदस्यों को अवगत कराया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु हम योजना व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक व्यय करेंगे। मुझे यह जानकारी देते हुये प्रसन्नता है कि वर्ष 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कुल योजना व्यय का लगभग 62 प्रतिशत व्यय किया जावेगा। वर्ष 1991-92 में भी इस अनुपात को बनाया रखा जावेगा।

15. गत कई वर्षों से राज्य की वार्षिक योजना की मदवार राशि विलम्ब से आवंटित की जाती थी। तत्पश्चात् बजट निर्णायक समितियों की बैठकें आयोजित होती थीं। इसके बाद ही विभाग योजना कार्य शुरू कर सकते थे। पूर्ण प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अक्सर कार्यक्रम वर्ष के मध्य से ही शुरू हो पाते थे तथा अधिक व्यय वर्ष के अन्तिम दो तीन माह में ही होता था। इस बार वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना के लिये बजट निर्णायक समितियों की बैठकें आयोजित करली गई हैं। अब इस बजट के पारित होते ही अप्रेल माह से सभी विभाग योजना कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे ताकि उन्हें पूरा साल क्रियान्वयन के लिए मिल जाएगा। इससे जहां एक ओर योजना कार्य समय पर पूर्ण किये जा सकेंगे वहीं कार्यों की गुणवत्ता में भी वांछित सुधार होगा।

16. माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि 11 अक्टूबर, 1990 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हुई थी। बैठक में आम सहमति से निर्णय हुआ था कि परिवर्तित गाडगिल फार्मूले को संशोधित किया जाय। संशोधन के अनुसार राजस्थान जैसे गैर विशेष प्रवर्ग के राज्यों की विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए 15 प्रतिशत राशि दी जायेगी जो पूर्व में 10 प्रतिशत ही थी। इसके अतिरिक्त पहली बार रेगिस्तान की समस्या को विशेष समस्या के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के आधार पर हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान को प्राप्ती होने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ेगी।

रोजगार

17. बेरोजगारी की समस्या राज्य के सम्मुख एक चुनौती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्यक्रमों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को रोजगारोन्मुख बनाया गया है। युवकों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करने के प्रयास किये जा रहे है। इस कार्यक्रम में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने राज्यस्तरीय बैंक समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की है एवं दिशा निर्देश दिये हैं कि प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों एवं विसंगतियों को दूर करें। मुझे आशा है इससे हमारे युवकों को स्वरोजगार हेतु बैंकों से सहायता मिलने में सुविधा होगी। वर्ष 1991--92 में योजना कार्यक्रमों से लगभग साढ़े तीन लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार मिल पाएगा।

18. राज्य में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के सुझाव देगी ताकि सन् 2000 तक बेरोजगारी दूर की जा सके।

विद्युत्

19. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1991--92 में ऊर्जा के क्षेत्र में 317.51 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो कुल योजना का 27.23 प्रतिशत है। वर्ष 1990-91 में यह प्रावधान मूल योजना का 24.94 प्रतिशत ही है।

20. राज्य में बिजली की समस्या के कई कारण हैं। राज्य में मांग के अनुसार बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। लगभग 54 प्रतिशत बिजली राज्य से प्राप्त होती है, जिसमें राज्य के बाहर की परियोजनाओं का हमारा हिस्सा भी शामिल है। शेष 46 प्रतिशत राज्य के बाहर से क्रय करनी पड़ती है। लगभग 60 करोड़ यूनिट आवंटित अंश के अलावा हर वर्ष हम बाहर से खरीदने को मजबूर हैं। ऐसी खरीद की दर एक रुपये एक पैसे प्रति यूनिट है जबकि आवंटित अंश की दर औसतन 64 पैसे ही है। राज्य में 1980 में 65 प्रतिशत बिजली जल से एवं 35 प्रतिशत तापीय स्रोत से उपलब्ध थी। यह अनुपात अब उलटा अर्थात् 35 व 65 हो गया है। जल से प्राप्त बिजली की उत्पादन दर कम होती है। ऐसे कारणों से राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के लेखों में 31-3-1990 को संचित घाटा लगभग 552.42 करोड़ रुपये था।

21. केन्द्र ने 1985 में बिजली आवंटन का फार्मूला तय किया था, जिसका आधार राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता की राशि एवं पिछले पांच वर्षों की ऊर्जा की खपत है। ये दोनों ही आधार राजस्थान जैसे राज्य के हित में नहीं हैं। इसलिये 19 फरवरी, 1991 को हुई मुख्य मंत्रियों एवं ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में मैंने सुझाव दिया कि राज्यों को हिस्सा उनकी ऊर्जा की कमी के आधार पर मिलना चाहिये। मुझे खुशी है कि बैठक में इस फार्मूले के पुनरावलोकन का निर्णय लिया गया है।

22. इसके अलावा इस वर्ष केन्द्र ने उनके द्वारा दी जा रही सहायता में से 39.67 करोड़ रुपये एन. टी. पी. सी., बी. एच. ई. एल. एवं कोल इण्डिया लि. की बकाया के पेटे काट लिये हैं जो कि मण्डल को इन संस्थाओं को तथाकथित देय राशि में से है। इस प्रकार की कटौती इससे पूर्व वर्षों में भी होती रही है। मैंने उक्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बैठक में इस कटौती का विरोध किया। मुझे बैठक का यह निर्णय बताते हुए खुशी है कि भविष्य में इस प्रकार की कटौती नहीं की जावेगी।

23. इस बैठक में ऊर्जा विकास के अन्तर्राज्यीज एवं केन्द्र सरकार से संबंधित मामलों पर भी बातचीत हुई। राज्य में तापीय विद्युत गृह के लिये अच्छे किस्म के कोयले व गैस के आवंटन किये जाने का एवं रेलवे द्वारा जैसे सीमेंट एवं स्टील के लिये भाड़ासमानीकरण किया जाता है वैसे ही कोयले के लिये भी किये जाने का मैंने अनुरोध किया है।

24. इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमने वर्ष 1991-92 में 700 ग्रामों एवं 25 हजार कुओं का विद्युतीकरण प्रस्तावित किया है।

25. राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में प्रस्तावित परियोजनाओं का विस्तृत विवरण दिया है। इसके अतिरिक्त गैस की उपलब्धता के आधार पर रामगढ़ के लिये 125 मेगावाट की परियोजना तैयार की जा रही है।

26. भारत सरकार ने जुलाई 1990 में एक नीति की घोषणा की थी जिसमें ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण के लिये निजी क्षेत्रों का सहयोग अपेक्षित था लेकिन इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए जो कानूनी संशोधन होने थे वे अभी तक नहीं हुए हैं। इस मुद्दे को भी मैंने उक्त बैठक में उठाया जिससे केन्द्र द्वारा आवश्यक संशोधन शीघ्र किये जाने का निर्णय लिया गया है। मुझे पूरी आशा है कि यह संशोधन होते ही ऊर्जा के क्षेत्र में काफी निजी संस्थाएं आगे आएंगी।

27. विद्युत मण्डल के ऋण व हिस्सा पूंजी का अनुपात असंतोषजनक है। मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी है कि हम मण्डल को राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण का 50 प्रतिशत भाग जो लगभग 600 करोड़ रुपये होगा, हिस्सा पूंजी के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। इससे मण्डल की वित्तीय कार्यकुशलता में सुधार होगा।

सिंचाई

28. हमारे सिंचाई के साधन बहुत सीमित हैं। इस क्षेत्र में चालू वर्ष के 182.73 करोड़ रुपये के प्रावधान के स्थान पर अगले वर्ष 232·57 करोड़ रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें 48.30 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी नहर के लिए, 23.25 करोड़ रुपये माही परियोजना के लिए एवं 10 करोड़ रुपये बीसलपुर के लिए प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त योजना आयोग के कार्यकारी दल ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 35 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की है। मुख्य अभियन्ता सिंचाई द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए 84.30 करोड़ रुपये का प्रावधान है तथा सिंचित विकास क्षेत्र के लिए 62.66 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

29. उक्त प्रावधानों से राज्य में वर्ष 1991-92 में 58,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य है जिसमें से 36,000 हेक्टेयर इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर माही क्षेत्र में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एवं 20,000 हेक्टेयर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य अभियंता सिंचाई द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।

30. सिंचाई विभाग में वृहत् योजनाओं में मुख्यतया जाखम, माही, बीसलपुर तथा गुड़गांव नहर का कार्य प्रगति पर है। नोहर एवं सिद्धमुख परियोजनाएं जो लम्बे समय से योजना आयोग में लंबित पड़ी थीं, राज्य सरकार के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन पर अगले वर्ष बड़े पैमाने पर कार्य शुरू कर दिया जावेगा। लगभग 150 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं से 74,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य है। पिछले वर्षों में नर्मदा परियोजना को समय पर विदेशी सहायता हेतु नहीं भेजने के कारण हम उसके लाभ से वंचित रहे। गुजरात में ऐसी योजना मंजूर होकर वहां सहायता प्राप्त होना भी शुरू हो गया है। अब 548 करोड़ रुपये की परियोजना को भारत सरकार ने जून, 1990 में विदेशी सहायता हेतु प्रस्तुत कर दिया है।

31. परिवर्तित बजट 1990 को प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के तहत पुराने अधूरे लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने का काम हाथ में लिया जायेगा और जून 1991 तक पूर्ण होने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्य जवाहर रोजगार योजना से माध्यम से चालू करवाये गये हैं और आशा है कि जून 1991 तक 150 कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

32. भारत सरकार पुराने बांधों में आवश्यक सुरक्षा का कार्य कुछ राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ कर रही है। इस योजना में राजस्थान राज्य को भी सम्मिलित किया गया है। इस वर्ष बांध सुरक्षा हेतु एक वृत्त का गठन किया गया है जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

33. सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य की तीन वृहत् परियोजनाओं यथा इंदिरा गांधी नहर, चंबल एवं माही में कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष 50.11 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में अगले वर्ष 62.66 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में ओ. ई. सी. एफ. जापान की सहायता से वृक्षारोपण का वृहत् कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है। इसके अतिरिक्त 55,000 हेक्टेयर में खालों, 126 किलोमीटर सड़कों, पेयजल हेतु 18 डिग्गियों एवं 2 नई मंडियों बीकानेर और जैसलमेर का निर्माण कार्य भी किया जावेगा। चंबल परियोजना में भी कनाड़ा सरकार की सहायता से भूमिगत जल निकास नालियों का कार्य किया जावेगा। इसके अतिरिक्त नहरों के आधुनिकीकरण एवं मरम्मत हेतु 114 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये है।

34. राज्य में स्थित जल के स्रोतों जैसे नदी, नालों, झीलों व सोतों आदि पर बांध बनाकर अथवा लिफ्ट करके सिंचाई, पेयजल एवं अन्य सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए योजनाएं बनाकर जल का उपयोग किया जा रहा है। जो जल इन योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आता है एवं निरर्थक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बहता रहता है उसके उपयोग के लिए राज्य सरकार काश्तकारों एवं उनकी सहकारी समितियों को कृषि हेतु पम्प लगाने को प्रोत्साहन देना चाहती है। इस हेतु राज्य सरकार किसानों को तकनीकी सलाह एवं बैंकों से ऋण दिलाने में मदद करेगी ताकि सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होकर कृषि उत्पादन बढ़ सके।

कृषि

35. माननीय सदस्यों को राज्यपाल महोदय के इस सत्र के भाषण से यह जानकारी हो गई है कि इस वर्ष 176 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 191 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई। गत वर्ष 85 लाख टन खाद्यान्नों की तुलना में इस वर्ष 108 लाख टन का कीर्तिमान उत्पादन होगा। वर्ष 1989-90 में जहां 18.45 लाख टन तिलहन पैदा हुआ था वहां इस वर्ष 24.80 लाख टन का उत्पादन होगा। सरसों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम रहा है।

36. प्रदेश में खेती बहुत ही कठिन परिस्थितियों में की जाती है हमारा प्रमुख उद्देश्य राज्य के कृषि उत्पादन में स्थिरता लाना है जो जल विकास के विनियोजन में अधिक समानता लाकर ही प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने जल के विकास एवं कुशल प्रबन्ध को प्राथमिकता दी है। भू जल उपलब्धि का पुनः आंकलन कराया गया है। आशा है अगले 2-3 माह में इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जावेगी। इसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों का डार्क जोन से निकलना सम्भावित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब परिवारों के लिए बैंकों की सहयता से दो लाख सिंचाई के कुए खोदने की एक विशेष योजना पर भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। उपलब्ध पानी के कुशल उपयोग हेतु राज्य सरकार फव्वारा सिंचाई पद्धति, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति एवं कुए पर पक्की नालियों की योजनाओं को बढ़ावा देना चाहती है। इस वर्ष 3200 फव्वारा सिंचाई सेट, एवं 3.11 लाख मीटर पक्की नालियों हेतु अनुदान दिया जावेगा। अगले वर्ष से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

37. लघु एवं सीमान्त जोत के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के किसानों को सामुदायिक आधार पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम 15000 रुपये की राशि प्रति कुआ देने का हमने निर्णय लिया है। इस योजना में अगले वर्ष 5000 परिवार लाभान्वित किये जायेंगे।

38. प्रदेश में पिछले चालीस वर्षों में कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति के विभिन्न पहलुओं का हमने विश्लेषण कराया है और इसके आधार पर राज्य की कृषि नीति का प्रारूप बनाया है जिसको सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

39. प्रदेश की प्रमुख समस्या असिंचित क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की है। इन क्षेत्रों को सिंचाई में होने वाले विनियोजन का लाभ नहीं मिल पाता है। इन क्षेत्रों के किसानों का लाभ पहुंचाने के लिये राज्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में भू एवं जल संरक्षण को विशेष महत्व दिया है। भारत सरकार की सहायता से 136 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना एवं विश्व बैंक की सहायता से 74 करोड़ रुपयों की समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना चालू की गई है। इन दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में अगले चार वर्षों में ढाई करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु एक नया भू एवं जल संरक्षण निदेशालय स्थापित किया गया है। नई योजनाओं के कारण भू संरक्षण के समस्त कार्यक्रमों पर इस वर्ष के 15 करोड़ रुपये से बढ़कर अगले वर्ष 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

40. राज्य के कृषि उत्पादन को स्थायित्व देने के लिये हमने भारत सरकार व विश्व बैंक को लगभग 500 करोड़ रुपये की एक योजना बनाकर भेजी है। मुझे विश्वास है कि यह योजना अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो जायेगी। इस योजना में तिलहन व दलहन विकास, फल विकास, भूजल विकास, पशु नस्ल सुधार, चारा विकास एवं कृषि वानिकी पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

41. 2 अक्टूबर, 1990 से पशुपालन विभाग द्वारा 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में गोपाल योजना चालू की गई है जिसके अन्तर्गत शिक्षित नवयुवकों का चयन कर उन्हें 3 माह का पशु प्रजनन एवं पशु संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जावेगा। 10 जिलों में 3 माह का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान में इन प्रशिक्षित नवयुवकों में से 272 ने अपने क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा नस्ल सुधार, नाकारा पशुओं का बधियाकरण तथा चारा प्रदर्शन एवं बांझ निवारण कैम्पों का आयोजन करेंगे।

42. कृषि मण्डी फीस की आय मुख्यतया बड़ी मण्डियों से होती है और इस कारण छोटी मण्डियों के क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हो पाते हैं। अतः सरकार ने जिला स्तरीय मण्डी कोष बनाने का निर्णय लिया है। इस कोष में बड़ी मण्डियों द्वारा धन राशि दी जायेगी जिसे छोटी मण्डियों के क्षेत्र में किसानों के हित के विकास के लिए खर्च किया जायेगा।

43. जिन किसानों को कृषि ग्रामीण ऋण राहत योजना का लाभ नहीं मिला है, वे यदि 31 मई, 1991 तक सहकारी संस्थाओं का बकाया ऋण जमा करा देते हैं तो उनके लिए सरकार ने उत्पादन प्रोत्साहन देना तय किया है, जो कि कृषि आदान के रूप में होंगे।

सहकारिता

44. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में सदन को राज्य सरकार के इस निर्णय से अवगत कराया था कि किसानों, बुनकरों एवं दस्तकारों के लिए ऋण राहत योजना लागू की जावेगी। यह योजना लागू कर दी गई है। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि इसके फलस्वरूप अब तक 9.72 लाख व्यक्तियों को पूर्व अनुमानित 170 करोड़ रुपये की तुलना में 241 करोड़ रुपये की राहत दी जा चुकी है। ये सब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किसान अब सहकारी संस्थाओं से पुनः ऋण लेने के लिए अधिकृत हो गये हैं।

45. कमाण्ड सिंचित क्षेत्र में बनाये गये खालों के निर्माण व भूमि विकास के लिये किसानों को दिये गये ऋण में किसानों को राहत दिलाने की बात मैंने पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय कही थी। यद्यपि भारत सरकार ने राहत देने के हमारे प्रस्ताव पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है फिर भी हमने निर्णय लिया है कि हम किसानों से इन कार्यों की कीमत की वसूली नहीं करेंगे।

46. जैसा कि सदन को माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण से मालूम हो चुका है तिलहन के क्षेत्र में किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से सरकार ने सहकारी क्षेत्र में तिलम संघ की स्थापना की है। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त की गई है। संघ के माध्यम से इस समय जालौर, मेड़तासिटी, गंगापुरसिटी, झुंझुनू, बीकानेर व श्रीगंगानगर में तिलहन संयंत्र लगाये जा रहे हैं। कोटा सोयाबीन संयंत्र में आवश्यक सुधार कर इसे दुबारा चालू किया गया है। इस वर्ष संयंत्र से लगभग दो करोड़ रुपये का लाभ होने की संभावना है। सरकार द्वारा प्रबन्ध सुधार के प्रयासों के कारण गंगापुर, गुलाबपुरा व हनुमानगढ़ की सहकारी कपास धागा मिलों ने भी इस वर्ष लगभग 4 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। गंगापुर मिल को अपनी कार्य कुशलता के कारण देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

47. अगले वर्ष के लिये 150 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण, 7 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण एवं 40 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण किसानों को देने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 85 करोड़ रुपये के कृषि आदान वितरित किये जायेंगे। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 120 करोड़ रुपये की उपभोक्ता सामग्री वितरित करने का लक्ष्य है। सहकारी क्षेत्रों की सभी संस्थाओं का व्यवसाय बढ़ाना आवश्यक है। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सहकारी समितियों एवं बैंकों की व्यवसाय विकास योजना अगले 6 माह में तैयार की जाये जिससे ये संस्थाएं किसानों को विशेष सेवा दे सकें।

शिक्षा

48. मानव संसाधन व व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की महती भूमिका रहती है। इसी कारण वर्ष 1990-91 में शिक्षा के गुणात्मक पहलू पर विशेष बल दिया गया है। अगले वर्ष में हमारा ध्येय शिक्षा सुविधाओं के विकास व सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ जन शिक्षा के क्षेत्र में भी नये आयाम स्थापित करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार व "सीडा' की सहायता से राज्य में "सबके लिए शिक्षा-लोकजुम्बिश" की एक वृहद् योजना पर विचार विमर्श चल रहा है। आगामी वर्ष में प्रयोग के रूप में कुछ पंचायत समितियों में इस योजना को लागू किया जायेगा।

अगले वर्ष के कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

1. ग्रामीण विकास विभाग के अधीन 1000 नये प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : 5,000 आपने बन्द किये है, उनको तो शुरूकर दो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 2.74 लाख अतिरिक्त बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में प्रविष्ट कराया जायेगा।

2. शहरी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

3. 25 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 80 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 25 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। 20 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक में व्यावसायिक शिक्षा के तीन पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

4. राज्य में पांच नये कालेज खोले जाएंगे।

5. जनजाति के बालकों की राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में दर्शाई गई क्षमता व प्रतिभा को और विकसित करने के लिए जनजाति उपयोजना में एक 'स्पोर्ट्स हॉस्टल' आरम्भ किया जायेगा।

6. वर्ष 1990-91 में 9 वीं व 10 वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए विद्यालयों में पुस्तकों के 5-5 सेट्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं आगामी वर्ष में यह सुविधा 11 वीं व 12वीं कक्षा तक की निर्धन एवं अनुसूचित जाति व जनजाति की बालिकाओं के लिए भी उपलब्ध कराई जायेगी।

49. मुझे यह कहते हुए खुशी है कि, अजमेर जिले का सम्पूर्ण जन शिक्षा का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। आशा है पूर्ण साक्षरता 31 मार्च, 1992 तक प्राप्त करली जावेगी और राजस्थान में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। अगले वर्ष राज्य के 3 अन्य जिलों में सम्पूर्ण जन शिक्षा का कार्यक्रम लिया जायेगा।

50. उच्च शिक्षा को अधिक सार्थक बनाने की दृष्टि से महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में कुछ रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम जैसे कम्प्यूटर सांइन्स, टेक्सटाइल केमेस्ट्री आदि प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

51. माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का अभाव है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। यदि बच्चों को प्रारम्भ से ही विभिन्न धर्मों के सिद्धान्तों पर आधारित नैतिक शिक्षा दी जावे तो उनके विचारों में धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। बच्चों को हमारे देश के सभी धार्मिक ग्रन्थों एवं उनमें वर्णित विचारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि उनमें भाई चारे व सद्भाव की भावना बचपन से ही पनपना

(12)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शुरू हो जावे और वे देश के सभी धर्मों के प्रति आदर, सह अस्तित्व तथा सम्मान प्रदर्शित कर सकें।

52. अतः यह प्रस्ताव है कि सभी राजकीय स्कूलों में नैतिक शिक्षा आरम्भ की जाय।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : श्री सम्पत सिंह जी के लिये जरूर कर देना साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :

तकनीकी शिक्षा

53. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अगले वर्ष 14.55 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता से जोधपुर में एक आवासी महिला पोलीटेक्निक स्थापित किया जायेगा मुद्रण टेक्नोलोजी एवं प्लास्टिक टेक्नोलोजी में राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय अजमेर एवं राजकीय महाविद्यालय कोटा में दो नये डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने का प्रस्ताव है। आई. टी. आई. पास शुदा राज्य सेवारत कर्मियों के लिए दूर शिक्षण एवं सतत्-शिक्षण केन्द्र राजकीय पोलोटेक्निक, जोधपुर में स्थापित किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

54. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में गति प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्ष जिला स्तर के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है। हर जिले में एक प्रिंसिपल मेडिकल अफसर होगा जो जिला अस्पतालों, सेटेलाइट अस्पतालों एवं मुख्यालय पर स्थिति अन्य चिकित्सा संस्थानों पर नियन्त्रण रखेगा। दूसरा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होगा जो ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को देखेगा दूसरे चरण में अगले वर्ष उपखण्ड स्तर पर भी प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है।

55. अगले वर्ष 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। 50 उपकेन्द्रों को क्रमोन्नत किया जावेगा एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मातृ एवं शिशु कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करायी जावेंगी। 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 155 अतिरिक्त शैय्याएं उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

56. शहरी क्षेत्र में 6 नयी डिस्पेंसरी और एक टी. बी. सब--क्लिनिक खोले जाएंगे। यथासम्भव रोगी वाहन, एक्सरे मशीन. अस्पतालों के भवन, स्टाफ व शैय्याओं की कमी की पूर्ति किये जाने का भी प्रस्ताव है।

57. अगले वर्ष कोटा में मेडिकल कालेज खोला जायेगा।

58. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के 25 नये औषधालय अगले वर्ष खोलने का प्रस्ताव है। सम्भागीय मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सालयों को 50 शैय्याओं के चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की भी योजना है। भारतीय चिकित्सा

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पद्धति को प्रमुखता देने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा।

समाज कल्याण

59. अनुसूचित जातियों, जन जातियों विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों तथा पिछड़े व कमजोर वर्गों के शैक्षणिक विकास हेतु निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अगले वर्ष 30 नये छात्रावास खोलना प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान के 3 जिलों में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले वर्ष इस कार्यक्रम का 12 अन्य जिलों में विस्तार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अजमेर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जावेगा। राज्य में वृद्ध एवं निर्बल आश्रय गृह अभी पुष्कर एवं टोंक में ही हैं। अगले वर्ष ऐसे चार और आश्रय गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले एक लाख पैंतीस हजार अनुसूचित जाति के परिवारों को वर्ष 1991-92 में लाभान्वित किया जावेगा।

60. यद्यपि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिये नियुक्तियों में आरक्षण की सुविधा दी गई है लेकिन भर्ती के लिये आयोजित लिखित परीक्षा की तकनीक, आशुलिपि व टंकण आदि में दक्षता नहीं होने के कारण ऐसे लोग आरक्षण सुविधा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में इनके प्रशिक्षण के लिए उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में एकलव्य प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों की अधिक आबादी वाले श्रीगंगानगर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर व नागौर जिलों में अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इसके लिये 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

61. जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है वहां चरणबद्ध विकास के लिये वाल्मीकि ग्राम विकास योजना लागू की जायेगी। अगले वर्ष ऐसे 100 गांवों का चयन किया जायेगा और वहां सर्वे के बाद पेयजल, सिंचाई विकास, कृषि विकास, बच्चों के टीकाकरण, साक्षरता, सम्पर्क सड़क निर्माण आदि कार्यों को कराया जायेगा। शनैः शनै इस कार्यक्रम का और विस्तार किया जायेगा। इस कार्य हेतु 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

महिला एवं बाल विकास

62. महिलाओं में जागृति एवं विकास हेतु राज्य के 9 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम चल रहा है। अगले वर्ष यह कार्यक्रम एक नये जिले में और चालू करना प्रस्तावित है। ग्रामीण महिलाओं को कृषि एवं पशुपालन के उन्नत तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनमें साक्षरता बढ़ाने के लिये भी अगले वर्ष से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जावेगा। ड्वाकरा परियोजना 61 पंचायत समितियों में क्रियान्वित की जा रही है। अगले वर्ष 14 और नई पंचायत समितियों में कार्यक्रम प्रारम्भ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया जायेगा। कम आय वर्ग परिवार के 6 वर्ष से कम आयु वाले बालक बालिकाओं तथा गर्भवती व दूध पिलाती माताओं को 125 परियोजनाओं के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 1991-92 में 19 नवीन परियोजनायें चलाने का प्रस्ताव है।

पेयजल

63. प्रदेश में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना के तहत अगले वर्ष 93.95 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिसमें 47.95 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र में व 46 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाओं हेतु है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के तहत 51.33 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है।

64. वर्ष 1991-92 में 1000 गांवों व अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य की 500 ढाणियों एवं मजरों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जन जाति की 1000 बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने का भी प्रस्ताव है। जनजाति क्षेत्रों में दूर दराज स्थित "फलों" में निवास करने वाले लोगों को पेयजल योजना का समुचित लाभ देने के लिए इन क्षेत्रों में 250 व्यक्तियों के स्थान पर 100 व्यक्तियों पर एक हैण्ड पम्प लगाने का प्रस्ताव है।

65. प्रदेश के अधिकांश भागों में गत वर्ष अच्छी वर्षा होने के फलस्वरूप पेयजल समस्या में कुछ राहत मिली है परन्तु दुर्भाग्यवश जयपुर नगर के मुख्य स्रोत रामगढ़ बांध में जल का आवक नगण्य रहा। ऐसी स्थिति में एक आपात पेयजल योजना स्वीकृत कर कार्य शुरू किया गया है। जयपुर एवं अजमेर शहर को बीसलपुर से एवं जोधपुर शहर को इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उदयपुर नगर की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु मान्सी वाकल योजना के लिए सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। श्रीगंगानगर, चूरू एवं झुंझुनूं जिले के 353 ग्रामों को इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 73.60 करोड़ रुपये की अन्तर्राष्ट्रीय सहायता सम्भावित है। गन्धेली साहबा योजना की उपयोगिता को देखते हुए इस योजना में और नए ग्रामों को सम्मिलित करने के लिए सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।

66. ढाणियों एवं मजरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अब तक कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं था। भारत सरकार अब ऐसी योजनाओं को धन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है जिससे आने वाले वर्षों में 50,000 से भी अधिक ढाणियों एवं मजरों के निवासियों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। नगरीय क्षेत्रों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु 52 कस्बों के लिए 84 करोड़ रुपये की योजना बनाली गई है और हुडको ने इसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। उसी के आधार पर परियोजना उन्हें भेजी जा रही है। दस्युग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सुधार हेतु 14.52 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार को भेजी गई है।

67. प्रदेश के सभी नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराना एक प्रमुख कार्य है जिसके लिये बहुत धन की आवश्यकता है। राज्य सरकार के पास संसाधनों का अभाव है अतः पेयजल की सम्पूर्ण व्यवस्था करने के लिये दानदाताओं का भी सहयोग लिया जाएगा। उनके नाम से पेयजल योजनायें निर्मित कराई जाकर संधारण का कार्य राज्य सरकार द्वारा कराया जा सकेगा।

वन

68. राज्य में "हरा भरा राजस्थान" नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके तहत ग्राम पंचायतों, स्वयं सेवी संस्थाओं, जन साधारण, सरकारी विभागों, उपक्रमों, विद्यालयों आदि का सहयोग लिया जा रहा है इस कार्यक्रम के तहत राज्य में एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 11 करोड़ पौधे लगाकर हरा भरा करने का प्रस्ताव है।

69. राजस्थान का काफी बड़ा भू-भाग बंजड़ क्षेत्र है। वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से इस भूमि के विकास का कार्य जयपुर व अजमेर जिलों में प्रायोगिक रूप से चल रहा है। इस कार्यक्रम को अन्य जिलों में भी विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया जायेगा। बंजड़ राजकीय भूमि पर वन लगाने हेतु बने आवंटन नियमों में अभी जिला कलेक्टरों को 25 हेक्टेयर तक भूमि आवंटन करने के अधिकार दिये गये हैं जिसे बढ़ाकर 40 हेक्टेयर किया जावेगा।

70. आदिवासियों का वनों से नजदीकी सम्बन्ध है। जनजाति के लोगों के हित व वन विकास की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि परिभ्रंशित वन क्षेत्रों में स्वयं सेवी संगठनों व सहकारी समितियों के माध्यम से वन लगवाये जावें। जनजाति विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आदिवासियों को इन वन खण्डों पर सामूहिक आधार पर वृक्ष लगाने को प्रेरित किया जायेगा। वृक्ष उत्पादक समितियों को बंजड़ भूमि विकास कार्यक्रम के लिए नाबार्ड से सहायता दिलाई जायेगी। ऐसे ऋणों के लिये यदि मार्जिन मनी की आवश्यकता होगी तो वह भी उपलब्ध कराई जायेगी। जनजाति क्षेत्रों में चलाई जा रही हितकारी योजना का विस्तार किया जायेगा व इसमें बांस व स्थानीय प्रजाति के वृक्ष विशेष रूप से लगाये जायेंगे।

71. वन क्षेत्र में तेन्दु पत्तों को एकत्रित करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिले इस दृष्टि से तेन्दु पत्ता संग्रहण करने की मजदूरी 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति 100 बंडल करने का निर्णय लिया गया है। इससे आदिवासी लोगों को विशेष लाभ मिलेगा।

72. वन भूमि में हुए अतिक्रमण के लम्बे समय से उलझे हुए मामलों को हल करने के लिये सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आशा है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भारत सरकार से बातचीत करके हम इसका संतोषजनक समाधान अगले वर्ष निकाल सकेंगे।

73. विश्व बैंक की सहायता से राज्य में क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना के तहत इस वर्ष 9970 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जावेगा। कृषि वानिकी के तहत 214 लाख पौधों का वितरण काश्तकारों, निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को किया जावेगा। जापान की सहायता से राज्य के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में प्रारम्भ की गई परियोजना के तहत तीन हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, टिब्बा स्थिरीकरण एवं चारागाह विकास के कार्य हाथ में लिए जावेंगे। अगले वर्ष के दौरान जापान के सहयोग से अरावली पर्वतमाला के विकास की 150 करोड़ रुपये लागत की योजना को भी स्वीकृत करवाकर कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास किया जावेगा। जापान द्वारा नियुक्त एक तकनीकी मिशन ने राज्य का दौरा कर प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करली है। अन्तिम वार्ता जापान सरकार के प्रतिनिधियों से इस वर्ष मई माह में होगी। बीहड़ सुधार की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत 6 हजार हेक्टेयर कंदरा क्षेत्र में ईंधन वृक्षारोपण किया जावेगा।

विशिष्ट योजनायें

74. दरिद्र नारायण के कल्याण की अन्त्योदय योजना वर्ष 1977 में मेरी सरकार द्वारा ही लागू की गई थी। तब पहली बार निर्बल को सम्बल का अहसास हुआ था। इसके आधार पर ही एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 35.14 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जनवरी, 1991 तक 87000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक 1.26 लाख परिवारों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जावेगा। अगले वर्ष 46.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है एवं 1.38 लाख अन्त्योदय परिवारों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य है।

75. जवाहर रोजगार योजना 1-4-1989 से लागू की गई थी। मैंने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के कार्यक्रमों की समीक्षा कर, उन्हें अधिक जनोन्मुखी एवं व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से उनमें यथोचित परिवर्तन किया जायेगा। इसी क्रम में एक ग्रामीण कार्य निर्देशिका जारी कर ग्रामीण कार्यों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का पूरी तरह सरलीकरण कर दिया गया है। शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार दिये गये हैं। ग्राम पंचायतों को 10 हजार रुपये तक के कच्चे कार्य एवं 50 हजार रुपये तक के पक्के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं। 50 हजार रुपये तक के कार्यों का मूल्यांकन कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भी सरपंचों को अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही निर्धनतम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

परिवारों को लाभ पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। अब विकास की गंगा वस्तुतः पहली बार गरीब के द्वार तक पहुंचाई गई है एवं रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित कराने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है।

76. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1287 कार्य अधूरे पड़े हुए थे, जिन पर बहुत बड़ी राशि व्यय हो चुकी थी। इसके उपरान्त भी उनका लाभ जन समुदाय को नहीं मिल पा रहा था। अतः इन सभी कार्यों को पूर्ण करवाया जा रहा है जिनमें 424 ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं।

77. जवाहर रोजगार योजना का विभागीय योजनाओं से पहली बार समन्वय किया गया है। इसके फलस्वरूप लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से 4500 शाला भवन, 5.33 करोड़ रुपये की लागत से 192 नई ग्रामीण सड़कें जिनकी लम्बाई 533 किलोमीटर है तथा 406 करोड़ रुपयों की लागत से 8300 हेक्टेयर क्षेत्र में सामाजिक वानिकी कार्य लिये गये हैं।

78. यह सरकार गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मेरी मान्यता है कि ग्रामीण विकास में जब तक जनता की पूरी भागीदारी नहीं होगी तब तक न तो आत्मनिर्भरता आएगी और न ही धन राशि का पूर्ण सदुपयोग होगा और न ही वांछित विकास हो पायेगा। विकास सही तौर पर तभी सार्थक हो सकेगा जब जनता और सरकार कन्धे से कंधा मिलाकर कार्य करे। इस उद्देश्य से हमने एक नया प्रयास इस वर्ष प्रारम्भ किया है।

79. 1 जनवरी, 1991 से "अपना गांव अपना काम" योजना का श्री गणेश कर जन समुदाय को आमंत्रित किया गया है। इस योजना के लिये 30 प्रतिशत राशि जन सहयोग से एवं 70 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा दी जायेगी। मैंने सभी माननीय सदस्यों से भी इस योजना में अपने विधान सभा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के कार्य कराने का अनुरोध किया था। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि राजस्थान की जनता ने इस योजना का भारी स्वागत किया है और भारी संख्या में विकास कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। इस योजना में चालू वर्ष के 20 करोड़ रुपये के कार्यों की तुलना में अगले वर्ष 50 करोड़ रुपये के कार्य कराये जायेंगे। इन कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया जायेगा। 15 करोड़ रुपये की राशि जन सहयोग से व शेष 25 करोड़ रुपये की राशि जवाहर रोजगार योजना में उपलब्ध कराई जायेगी।

80. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के मार्ग निर्देशन भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिए एक समान बनाकर लागू किये जाते हैं। इनमें से कुछ राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्थिति के अनुरूप नहीं होते हैं जिससे इन योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है मैंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं के ढांचे में आवश्यक संशोधन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत करें।

81. छोटे-छोटे गांवों के बीच में पड़ने वाले बड़े गांव व्यापार तथा सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन गांवों में प्राथमिक सुविधाएं जैसे पेयजल, परिवार कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, परिवहन एवं प्रकाश एकरूपता से उपलब्ध हों इस उद्देश्य से सरकार ने मध्य ग्राम विकास योजना लागू करने का निर्णय लिया है। जिन गांवों में इस प्रकार की सुविधाएं हैं उनके अतिरिक्त 100 गांवों में ऐसी सुविधाएं इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जायेंगी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

82. जनजातियों के विकास हेतु फल विकास, लघु सिंचाई, शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, नारु उन्मूलन आदि योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं।

83. शिक्षा के क्षेत्र में जनजाति बालक-बालिकाओं को शैक्षिक प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति सुविधा एवं निःशुल्क पोशाकें और लेखन सामग्री दी जाती है। लघु सिंचाई के अन्तर्गत कुओं को गहरा कराना, जलोत्थान सिंचाई योजनाओं एवं एनिकटों का निर्माण कराना, डीजल पम्पसेटों का निःशुल्क वितरित किया जाना आदि प्रमुख कार्यक्रम हैं। व्यावसायिक आधार पर सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, भेड़ व ऊन, मत्स्य पालन आदि कार्यक्रम विकसित किये गये हैं। इस वर्ष सहकारी ढांचे को भी सुदृढ़ करने के प्रयास हैं। इस वर्ष 64039 जनजाति के परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। अगले वर्ष 69557 ऐसे परिवार लाभान्वित किए जावेंगे।

84. वर्ष 1990–91 में माडा के अन्तर्गत 395 लाख, क्लस्टर में 13 लाख व बिखरी जन जातियों हेतु 100 लाख रुपये का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत जन जातियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास के कार्यक्रम लिये जाते हैं। अगले वर्ष माडा में 455 लाख रुपये, क्लस्टर में 15 लाख रुपये व बिखरी आबादी में 115 लाख रुपये विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय किये जायेंगे।

85. पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए इस वर्ष क्षेत्र में 10 बैंक केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 2 खण्डों में शिक्षाकर्मी योजना क्रियान्वित की जा रही है। 8 आदिवासी बस्तियों को इसी वर्ष विद्युतिकृत करने का कार्यक्रम है। जनजाति बालकों को शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देने हेतु एक कोर्स प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

86. कोटा जिले की पंचायत समिति शाहबाद एवं किशनगंज क्षेत्र में सहरिया आदिम जनजाति का बाहुल्य है। इस वर्ष इस आदिम जनजाति के आर्थिक विकास पर 27 लाख रुपये की तुलना में अगले वर्ष 34 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव है।

87. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 50 प्रतिशत से भी अधिक आबादी जनजातियों की है लेकिन इस क्षेत्र में भी इनके लिये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आरक्षण 12 प्रतिशत ही है। इन क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों को रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराने के लिये वन रक्षक, कान्स्टेबल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कनिष्ठ लिपिक, वाहन चालक व तृतीय श्रेणी के सहायक अध्यापक के पदों पर इनके लिये आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

उद्योग

88. राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति 1990 की घोषणा की गई है जिसके कारण राज्य में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिला है। रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है।

89. उपक्रमियों/उद्यमियों को उद्योग से सम्बन्धित सूचनाएं व साहित्य उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं को जल्दी निपटाने के लिए ब्यूरो आफ इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन की स्थापना की जा चुकी है।

90. राजस्थान हाथ करघा विकास निगम द्वारा बुनकरों के कल्याण हेतु सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। सिरेमिक उद्योग के विकास हेतु अजमेर में पॉटरी केन्द्र व प्लास्टिक उद्योग विकास हेतु जयपुर में विस्तार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। मरुस्थलीय जिलों में 45 लाख रुपये की लागत से ऊन विकास योजना भी राजस्थान राज्य बुनकर संघ एवं खादी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।

91. केन्द्रीय उप प्रधान मंत्री ने ऊन को कृषि उत्पादन घोषित कर दिया है। इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। हमने केन्द्रीय सरकार को इस घोषणा के सम्बन्ध में शीघ्र आदेश जारी करने हेतु लिखा है।

92. राजस्थान अपने हस्तशिल्प एवं हस्तकलाओं के लिए न केवल देश में वरन् विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र रोजगार उत्पादन एवं निर्यात की दृष्टि से राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि इस क्षेत्र को अब तक निरन्तर प्रोत्साहन मिला होता तो हस्तकलाओं का और विकास होता व बेकारी नहीं फैलती, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। अतः इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने एवं नियोजित रूप से विकसित करने की दृष्टि से हस्तशिल्प विकास को राज्य की औद्योगिक नीति 1990 का एक महत्वपूर्ण मद माना गया है जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर एक हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की जावेगी। यह बोर्ड एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा। हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण, तकनीक में सुधार, डिजाइन विकास, कच्चे माल की उपलब्धि, ऋण सुविधा, विपणन आदि में सहायता देने हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया जावेगा। वर्ष 1991-92 में 20 लाख रुपये खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

राजकीय उपक्रम

93. राजकीय उपक्रमों का राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

योगदान हो सकता है पर इनके वित्तीय परिणाम संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। इन उपक्रमों में वर्ष 1988-89 तक विनियोजित 2266 करोड़ रुपये में से 544 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

94. वर्ष 1988-89 के अन्त में कुल 21 राजकीय उपक्रमों में संचित हानि थी हानि में चल रहे उपक्रमों को या तो बंद किया जा सकता है या उनमें सुधार किया जा सकता है। सुधार के सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों से निरन्तर प्रयास किए जाते रहे हैं पर इसके कोई अच्छे परिणाम सामने नहीं आए हैं। बन्द करने से भी विनियोजित पूंजी तथा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के सम्बन्ध में एक अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस दृष्टि से मैं इस विषय में सदन का मार्गदर्शन चाहूंगा।

कम्प्यूटर

95. मुझे यह बताते हुए खुशी है कि कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर में कम्प्यूटर लगाने पर एक ही माह में आय में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई, इसलिए प्रथम चरण में राज्य की मुख्य 16 मण्डियों में कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव है। कम्प्यूटर क्षेत्र में व्यवसायिक, गुणात्मक एवं टर्न-की सेवायें प्रदान करने हेतु "सेन्टर फार इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग" की स्थापना की गई है। कई विभागों में कम्प्यूटर लगाये जा चुके हैं। ऐसे विभागों एवं संस्थाओं, जो राज्य सरकार के लिए आय का स्रोत हैं, में कम्प्यूटर प्राथमिकता से लगाये जायेंगे। अगले वर्ष वाणिज्यिक कर, परिवहन, बीमा, वित्त एवं अन्य कई विभागों में कम्प्यूटर लगाये जावेंगे।

चुंगीकर

96. चुंगीकर को युक्ति संगत बनाने एवं नगर पालिकाओं को अपने साधनों से आय वृद्धि करने के सुझावों हेतु श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। अब इस कमेटी में यह सुझाव देने हेतु भी कहा जाएगा कि यदि चुंगी समाप्त कर दी जावे तो नगर पालिकाओं की आय में होने वाली क्षति की पूर्ति किन वैकल्पिक स्रोतों से की जा सकती है।

पर्यटन

97. भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 "भारत दर्शन" वर्ष घोषित किया गया है। किलों और महलों को हेरीटेज होटल बनाने हेतु 35 लाख रुपये अनुदान देने का प्रस्ताव है। पर्यटकों को 24 घण्टे सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में पर्यटन स्वागत केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। पाली व अलवर में पर्यटन विश्राम गृह एवं बूंदी व सवाई माधोपुर में टूरिस्ट काम्प्लेक्स बनाये जायेंगे। निजी क्षेत्र में होटल व्यवसाय को विभिन्न प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

कला एवं संस्कृति

98. हमारा देश सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। आधुनिक संदर्भ में प्राचीन एवं अर्वाचीन, वैदिक और अवैदिक विचारधाराओं के गहन अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता है, जिससे राष्ट्र की सांस्कृति

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महत्ता एकता और अखंडता की दृष्टि से भारतीय संस्कृति के आदर्शों को प्रतिष्ठापित किया जा सके। राजस्थान भारतीय संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही उर्वरा भूमि है। इसलिये मेरा सुझाव है कि राजस्थान में भारतीय संस्कृति प्रतिष्ठान के नाम से एक स्वायत्तशासी संस्थान की स्थापना की जाय जिसमें राजस्थान और देश के अन्य प्रदेशों के प्रतिष्ठित मनीषी सम्मिलित हों। इसके लिए अगले वर्ष 25 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

99. राजस्थान की अपनी सांस्कृतिक परम्परा रही है। मूर्ति कला, वास्तु कला ललित कला आदि सभी क्षेत्रों में हमारी इस धरोहर को देखने के लिये देश-विदेश से पर्यटन बरबस आकर्षित होकर आते हैं। इस धरोहर की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये सरकार ने एक धरोहर कोष गठित करने का निर्णय लिया है। इस कोष के लिये प्रारम्भ में सरकार अपनी ओर से 10 लाख रुपये देगी। इस कोष के लिये जनता से, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा प्रवासी राजस्थानियों से भी सहयोग लिया जायेगा।

उपभोक्ता संरक्षण

100. उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु समस्त जिलों में जिला मंचों की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिनमें से 23 जिलों में जिला मंचों का गठन किया जा चुका है तथा शेष 4 जिलों (नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर व चित्तौड़गढ़) में जिला मंचों के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन

101. जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा बीकानेर व उदयपुर शहरों में यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वहां 50 किलोमीटर दूर तक राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

न्याय

102. जनता को समय पर, सस्ता व सुलभ न्याय प्रदान कराने हेतु समय-समय पर लोक अदालतों के माध्यम से बकाया प्रकरणों का निपटारा कराने की व्यवस्था की जाती रही है। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण में 5 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार राज्य में पारिवारिक मुकदमों के निपटारे हेतु कोटा व उदयपुर में दो फैमिली कोर्ट स्थापित किये जावेंगे तथा 20 नये मुंसिफ मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालय खोले जावेंगे।

अल्प बचत

103. वित्तीय वर्ष 1990-91 में अल्प बचत योजनाओं में धन संग्रहण का लक्ष्य 325 करोड़ रुपये रखा गया था जिसकी तुलना में 350 करोड़ रुपये की उपलब्धि होने की आशा है। माह मई से अगस्त 1990 तक अल्प बचत योजनाओं में निवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क उपहार कूपन की एक नई योजना चलाई गई जिसमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इसे दुबारा इस वर्ष जनवरी से मार्च तक चलाया जा रहा है जिससे 150 करोड़

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रुपये के सकल धन संग्रह हो जाने की आशा है। आगामी वित्त वर्ष में भी अल्प बचत योजनाओं के तहत अधिकाधिक धन संग्रहण हेतु भरसक प्रयत्न किये जायेंगे।

बीमा

104. एक नई साधारण बीमा योजना लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के विभागों, राजकीय उपक्रमों, बोर्डों आदि की सम्पत्तियों का बीमा, जो इस समय बीमा कम्पनियों से करवाया जाता है, अब राज्य सरकार की इस योजना के अन्तर्गत कराया जाना सम्भव होगा।

कर्मचारी कल्याण

105. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु रियायती ब्याज दरों पर प्रार्थना-पत्रों की प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराती है किन्तु वित्तीय साधनों की कमी के कारण इसका लाभ सभी कर्मचारियों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। प्रति वर्ष लगभग 400 से 500 कर्मचारी ही ऋण ले पाते है। इस समय 10 हजार से अधिक कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है। कुछ कर्मचारी वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डवलपमेन्ट फाइनेनसिंग कार्पोरेशन इत्यादि से ऋण लेते हैं पर इससे उन पर ब्याज का काफी अधिक भार पड़ता है। अतः ऐसे राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण में कुछ सीमा तक सुविधा देने के उद्देश्य से एक नई योजना चालू करना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं से धनराशि प्राप्त कर राज्य सरकार कर्मचारियों को ऋण देगी और ऐसे ऋण पर आने वाले अतिरिक्त ब्याज के भार का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करायेगी। इस योजना के इच्छुक कर्मचारियों की प्राथमिकता वही होगी जो विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की प्रतीक्षा सूची में है। केवल ऐसे कर्मचारियों से वे आगे आ सकेंगे जो इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहते। इस नई योजना हेतु वर्ष 1991-92 में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा। इससे लगभग दो हजार अतिरिक्त कर्मचारियों को अनुमानतः 20 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान ऋण योजना भी यथावत कायम रखी जावेगी।

राजस्थान विकास कोष

106. प्रवासी राजस्थानियों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पेयजल, पशु संरक्षण, शिक्षा, समुदाय सुविधाओं के निर्माण आदि में उनका सहयोग मिलता रहा है। प्रभावी राजस्थानी हमारे अपने हैं। प्रदेश की उनसे अपेक्षाएं हैं। सुनियोजित रूप से निरन्तर उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये हमने राजस्थान विकास कोष का गठन करने का निर्णय लिया है। इस कोष के लिए सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपये का प्रारम्भिक योगदान करेगी। मैं देश-विदेश में रहने वाले राजस्थान मूल के सभी व्यक्तियों का सदन के माध्यम से आव्हान करता हूं कि वे राजस्थान विकास कोष में में योगदान देकर प्रदेश के विकास में हाथ बटायें। इस कोष का उपयोग प्रवेशके विकास

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में हाथ बटायें। इस कोष का उपयोग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृति प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिये किया जायेगा।

राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों का नियमन

107. सिवाय चक भूमि पर भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा दिनांक 1-7-1975 तक के अतिक्रमणों को आज्ञा दिनांक 14-4-1977 द्वारा कृषि हेतु नियमित किये जाने के आदेश जारी किये गये। इसी प्रकार से गैर-मुमकिन भूमियों पर भी भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा 1-7-1978 तक किये गये अतिक्रमणों को कृषि हेतु नियमित किये जाने के आदेश दिनांक 29–1–1983 को जारी किये गये। उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन के बाद भी सिवाय चक एवं गैर-मुमकिन भूमि पर अतिक्रमण के हजारों मामले विचाराधीन हैं जिनमें लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जाती है। इस समस्या का निवारण करने के लिये ऐसी भूमियों पर दिनांक 15-7-1984 तक के भूमिहीन कृषकों, जो कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियमों में भूमि आवंटन के पात्र हैं, द्वारा किये गये अतिक्रमणों को नियमित करना प्रस्तावित है।

जिलों एवं तहसीलों का पुनर्गठन

108. राज्य के बड़े जिलों के पुनर्गठन एवं इसके परिणामस्वरूप नये जिलों के सृजन का मामला कई वर्षों से विचाराधीन था। इस विषय में सुझाव देने के लिए अध्यक्ष, राजस्व मण्डल की अध्यक्षता में एक कमेटी मेरे पूर्व शासन काल में गठित करने का निर्णय लिया गया था। कमेटी ने वर्ष 1982 में जयपुर, उदयपुर एवं कोटा जिलों का पुनर्गठन कर तीन नये जिले बनाने की सिफारिश की थी। इसे ध्यान में रखते हुए तीन नये जिले दौसा, राजसमन्द और बारां सृजित करना प्रस्तावित है।

109. इसके अतिरिक्त बड़ी तहसीलों के कार्य-भार एवं प्रशासनिक सुविधा के परिप्रेक्ष्य में उनके पुनर्गठन की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है। अतः वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जावेगी जो इस विषय पर विस्तृत अध्यन कर अपनी रिपोर्ट देगी। यह समिति नयी सब-तहसीलों को स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

110. हमारे पास साधनों का अभाव है। अतः साधनों का इस प्रकार उपयोग होना चाहिए कि उनकी अर्थव्यवस्था को अधिकतम लाभ मिले। थोड़ी-थोड़ी राशि कई जगहों पर खर्च करने से कहीं भी उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अतः हमने निर्णय लिया है कि अगले वर्ष "तीस-जिले तीस काम" की नई योजना के तहत हर जिले में एक प्रवृत्ति विशेष जैसे पेयजल, सिंचाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क, कमजोर वर्गों का कल्याण आदि का कार्यत्वरित गति से कराया जाएगा। इस कार्य हेतु 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जावेगा। विभाग के इस नए प्रयास में मैं माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए आह्वान करता हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

111. प्रशासन में संवेदनशीलता लाने की हमारी प्रतिबद्धता मैंने अपने पिछले बजट भाषण में आपके समक्ष व्यक्त की थी। जन समस्या निराकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष हर विभाग एक जिले में विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अध्ययन करेगा। बेहतर क्रियान्वयन के लिए जो संगठनात्मक एवं प्रक्रियात्मक सुधार वांछित हों उनको लागू करेगा।

112. जिलों में कुछ जन समस्याएं वर्षों से लम्बित हैं। सरकार ने तय किया है कि जिला प्रशासन अपने जिले की एक या दो प्रमुख समस्याओं पर अगले वर्ष विशेष ध्यान देकर उन्हें त्वरित गति से हल करेगा।

वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमान

113. वर्ष 1990-91 के परिवर्तित अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में 59 28 करोड़ रुपये का घाटा आंका गया था। तत्पश्चात् विनियोग विधेयक पर हुई बहस के दौरान, लगाई गई रवन्ना फीस को वापिस ले लेने के कारण यह घाटा बढ़कर 59.88 करोड़ रुपये हो गया था जो अब संशोधित अनुमान 1990-91 के अनुसार 9.69 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष घाटे में 50.19 करोड़ रुपये का सुधार हुआ है। यह सुधार मुख्यतः अधिक अल्प बचत संग्रह, केन्द्र सरकार से अधिक राशि की प्राप्ति एवं लॉटरीज, स्टाम्प्स और पंजीकरण तथा राज्य उत्पाद शुल्क आदि के तहत अधिक प्राप्तियों के परिणाम-स्वरूप है। मैंने पिछले बजट भाषण में सदन को यह आश्वासन दिया था कि इस घाटे की पूर्ति कई उपायों से की जायेगी। मुझे खुशी है कि मैं काफी हद तक इस घाटे की पूर्ति कर सका हूं।

वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक अनुमान

114. वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक अनुमानों को संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

1.	राजस्व प्राप्तियां	3825.44
2.	राजस्व व्यय	4020.04
3.	राजस्व खाते में घाटा	(—) 194.60
4.	पूंजीगत प्राप्तियां	1484.28
5.	योग (3 तथा 4)	1289.68
6.	पूंजीगत व्यय	1314.94
7.	शुद्ध योग (5—6)	(—) 25.26

115. पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय में भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त होने वाली और उसके चुकारे की राशि सम्मिलित है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

116. वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में रहे 9.69 करोड़ रुपये के घाटे को जोड़ने के पश्चात् वर्ष 1991-92 के अन्त में समग्र घाटा 34.95 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

117. मेरे द्वारा प्रस्तावित किये गये कार्यक्रमों के लिए यद्यपि आय-व्ययक अनुमानों में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है फिर भी यदि कुछ कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता होगी तो उसके लिए यथासमय समुचित कार्यवाही की जावेगी।

कर प्रस्ताव

118. माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि पिछले वर्ष के बजट भाषण में व्यापार व वाणिज्यिक प्रावधानों को सक्षम बनाने की दृष्टि से कर प्रक्रिया, ढांचे एवं विधि को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने का निष्ठापूर्ण प्रयास किया गया था। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इन प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान के व्यापार के अन्य राज्यों में व्यपवर्तन को रोकने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। मैं इस वर्ष भी, उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में ही कार्य कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसे प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं, जिनसे कर अपवंचन एवं परिहार करने की प्रवृत्ति पर कठोरता से अंकुश लगाया जा सके। मुझे आशा है कि इन उपायों से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।

119. मेरा यह स्पष्ट विचार है कि कर नीति रोजगार उन्मुख, कृषि एवं उद्योगों को बढ़ावा देने वाली तथा कामगार, दस्तकारों एवं समाज के गरीब तबके के लोगों को राहत प्रदान करने वाली होनी चाहिए। अतएव माननीय सदस्यों को मेरे प्रस्तावों में समाज के कमजोर वर्ग तथा जन-साधारण के लिए करों में राहत के समुचित उपाय दृष्टिगोचर होंगे।

120. राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 में आवासीय भवनों हेतु एक बारीय भूमि एवं भवन कर जमा कराने का विकल्प उपलब्ध है। नई उद्योग नीति में एक बारीय कर की सुविधा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाये जाने वाली भूमि/भूमि एवं भवनों के लिये भी विकल्प में उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है। इसको मूर्त रूप देने के लिए भूमि एवं भवन कर अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। इस तथा अन्य प्रस्ताव जिनमें भूमि एवं भवन कर अधिनियम में संशोधन अन्तर्वलित है कि क्रियान्विति करने हेतु अपने बजट भाषण के उपरान्त में राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 पुनः स्थापित करूंगा।

121. हमारे राज्य के व्यापार एवं उद्योग के दूसरे राज्यों के व्यपवर्तन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किए जा रहे हैं:—

(क) गोटा-किनारी, बादला व सलमा सितारा बनाने का उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र में अपना एक मह-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरा यह मानना है कि इस उद्योग पर अधिक कर भार होने के कारण यह उद्योग दूसरे राज्यों में व्यपवर्तित हो रहा है। इस उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से, गोटा-किनारी, बादला व सलमा-सितारा की बिक्री पर लगने वाले 4 प्रतिशत कर को पूर्णतः समाप्त करना प्रस्तावित है।

(ख) मतीरा, तुम्बा एवं अम्बाड़ी के बीजों की अन्तर्राज्यीय बिक्री प्रदत्त कर छूट समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, ताकि राजस्थान में स्थित उपरोक्त वर्णित बीजों से तेल निकालने के उद्योग को सम्बल प्राप्त हो सके। राज्य में इन चीजों के विक्रय पर लगने वाले कर की छूट, जो कि पिछले बजट भाषण में प्रस्तावित की गयी थी, यथावत बनी रहेगी।

(ग) केन्द्र सरकार के विभागों के लिए कोलतार, पैट्रोल, डीजल व उपस्नेहक, लेखन सामग्री, समस्त प्रकार की भवन सामग्री एवं दवाइयों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं के क्रय पर लगने वाले कर को 5 प्रतिशत निर्धारित करना प्रस्तावित है।

(घ) वर्तमान में इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटरों के विक्रय पर लगने वाले कर की दर 4 प्रतिशत है। इनके उपसाधनों एवं पुर्जों के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को भी घटाकर 4 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

(ङ) राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना 1989 में निम्नानुसार संशोधन का प्रस्ताव है :—

(i) राज्य के जनजाति उप योजना क्षेत्रों में स्थापित सीमेन्ट की नई बड़ी इकाइयों को स्थानीय विक्रय कर में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। अब जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली सीमेन्ट की नई बड़ी इकाइयों को स्थानीय विक्रय कर में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी।

(ii) ऐसी सीमेन्ट की नई बड़ी इकाइयों को केन्द्रीय बिक्री कर में 75 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी।

(iii) वर्तमान में मिनी सीमेन्ट इकाइयों को केन्द्रीय विक्रय कर में 50 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् यह बढ़ कर 75 प्रतिशत हो जायेगी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

122. बिक्री कर अपवंचन एवं परिहार करने की प्रवृति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से निम्न उपाय प्रस्तावित हैं :-

(क) विक्रय कर अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (3) के तहत 6 माह तक की साधारण कैद की अवधि को बढ़ा कर 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है, साथ ही उप-धारा (3) के खण्ड (छ) (ट) व (ड) में वर्णित अपराधों के लिए साधारण कारावास की न्यूनतम सीमा एक माह व अधिकतम सीमा 2 वर्ष करना प्रस्तावित है।

(ख) विक्रय कर अधिनियम की धारा 21 ख के तहत दोषी पाये गये प्रकरणों में बिल/कैश मीमों की राशि के दुगुने अथवा सौ रुपये जो भी अधिक हो, की शास्ति लगाया जाना प्रस्तावित है।

(ग) विक्रय कर अधिनियम की धारा 25 क की उप-धारा 7 में संशोधन प्रस्तावित है, ताकि ट्रांसपोर्टर द्वारा वस्तुओं के गमनागमन के दौरान व्यापारी से मिलकर कर अपवंचन करने वाले प्रकरणों में, बिक्री कर अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले बिक्री कर उपायुक्त से लिखित में अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित वाहन का समपहरण किया जा सकें।

(घ) राज्य में पारगमन पास प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में नियम 63 ग जोड़ा जाना प्रस्तावित है, ताकि एक राज्य से राजस्थान होते हुए दूसरे राज्य को माल भेजा जाना बताकर, राज्य में ही बिक्री कर, विक्रय कर की चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।

123. मैं, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 एवं राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 में निर्धारित कुछ प्रक्रियाओं को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से निम्न उपाय प्रस्तावित करता हूं :—

(क) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की वर्तमान धारा 5 झ को समाप्त कर धाराएं 5 ग व 5 गग प्रतिस्थापित करना प्रस्तावित है, ताकि व्यवहारी को सैट-आफ प्रणाली के कारण होने वाली कठिनाइयों से राहत प्राप्त हो सके एवं इस प्रणाली का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।

(ख) विक्रय कर अधिनियम की धारा 12 में व्यवहारी का पुनः कर निर्धारण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अधिकतम 8 वर्ष की अवधि को घटा कर 5 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 22 क के उपरान्त उप-धारा 7 के खण्ड (ख) के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पश्चात् नया खण्ड (ग) जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिसके द्वारा समुचित प्रकरणों में वस्तुओं की अनुमानित कीमत के बराबर प्रतिभूति लेकर अभिगृहित की गई, वस्तुओं को छोड़ा जा सकेगा।

(घ) विक्रय कर नियम, 1955 के नियम 25 में वर्ष के अन्तिम त्रैमास के लिए विवरणी निवेशित करने की समय सीमा 30 दिवस से बढ़ाकर 60 दिवस करना प्रस्तावित है।

(ङ) राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 के नियम 28 ख में 2 लाख रुपये वार्षिक पण्यावर्त की सीमा को बढ़ा कर 5 लाख करने का प्रस्ताव है।

(च) राजस्थान विक्रय कर नियम, 1955 के वर्तमान नियम 31 नये नियम 31 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ताकि शास्ति प्रकरणों में मांग-पत्र के साथ शास्ति आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दी जा सके एवं मांग-पत्र तामील होने के बाद मांग राशि जमा कराने की समय सीमा 15 दिन से बढ़कर 30 दिन हो जाये।

(छ) वर्तमान प्रावधान के अनुसार वे वस्तुएं, जिन पर केन्द्रीय बिक्री कर दायित्व नहीं है, यदि अन्तरप्रान्तीय बिक्री में बेची जाती है, तो ऐसी वस्तुओं के साथ विक्रय किये जानी वाली उस पैकिंग सामग्री पर जिसकी कीमत अलग से दर्शायी जाती है, "सी" प्रपत्र के साथ 4 प्रतिशत और बिना "सी" प्रपत्र 10 प्रतिशत कर देय होता है। "सी" प्रपत्र की अनिवार्यता के कारण आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए, "सी" प्रपत्र के बिना भी उपरोक्त वर्णित पैकिंग सामग्री पर कर दर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

124. कृषि क्षेत्र में प्रस्तावित कर राहत निम्नानुसार है :—

(क) मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 1977 में उपजाऊ, अर्द्ध उपजाऊ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 6 एकड़, अर्द्ध रेगिस्तान क्षेत्र में 16 एकड़, व रेगिस्तानी क्षेत्र में 22 एकड़ तक भूमि रखने वाले काश्तकारों को राहत देने हेतु भू-राजस्व की छूट दी गई थी। गत दशक में राज्य को अकाल की विभीषिका का अनेक बार सामना करना पड़ा है। अकाल से बारानी काश्त सबसे अधिक प्रभावित होती रही है। अतएव काश्तकारों को राहत पहुंचाने हेतु खरीफ संवत् 2048

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से बारानी भूमि का लगान समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसके फलस्वरूप, राज्य के अनुमानतः 67 लाख कृषक लाभान्वित होंगे व राज्य सरकार को प्रति वर्ष अनुमानतः 4.75 करोड़ रुपयों के राजस्व की हानि होगी।

राजस्व की इस हानि के उपरांत भी ग्राम पंचायतों को अनुदान की जो राशि राजस्व विभाग के 19 जनवरी, 1990 के आदेश के अन्तर्गत मिल रही थी वह मिलती रहेगी।

(ख) माननीय सदस्यों को यह विदित है कि पिछले वर्ष किसानों को सस्ती दरों पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये गये थे। इसी क्रम की निरन्तरता में मैं, खरीफ की फसलों यथा बाजरा, ज्वार, मक्का, मोठ, धान, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन एवं ग्वार के प्रमाणित बीजों के विक्रय पर लगने वाली कर दर में 50 प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित करता हूं।

(ग) पशुओं की हड्डियों के चूरे का उपयोग खाद के निर्माण में भी किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, अखण्डित अस्थियों एवं अस्थी चूर्ण के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है।

(घ) वैज्ञानिक रूप से विकसित की गई बौछार एवं सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाने की तकनीकों को और अधिक प्रोत्साहन देने एवं प्रचलित करने की दृष्टि से स्प्रिंकलर सिंचाई एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली में उपयोगित साधनों के विक्रय पर लगने वाले कर की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

(ङ) कृषकों को राहत देने की दृष्टि से, टायर व ट्यूब जो ट्रैक्टरों, उनके ट्रेलरों व ट्रौलियों में लगाये जाते हैं, के विक्रय पर लगने वाले कर की दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

125. श्रमिक प्रधान कुटीर उद्योगों में लगे कामगारों को प्रोत्साहन देने एवं रोजगार के अवसर बढाने की दृष्टि से निम्नानुसार कर राहत प्रस्तावित है:—

(क) हस्तनिर्मित गुड़िया एवं ब्ल्यु-पोट्री के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को एवं टाइल व शिलापट्ट को छोड़, संगमरमर से निर्मित दो सौ रुपये तक की प्रत्येक वस्तु के विक्रय पर लगने वाले 15 प्रतिशत कर को पूर्णतः समाप्त करना प्रस्तावित है।

(ख) हस्तनिर्मित चित्रों के सम्बन्ध में दी गई विक्रय कर छूट के साथ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगी शर्तों को समाप्त करना प्रस्तावित है ।

126. मेरा यह मानना है कि शैक्षणिक प्रवृत्तियों को अधिक बढ़ावा मिले एवं विद्यार्थियों को खेलों के प्रति अधिकाधिक रुचि जागृत हो । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं, फाउन्टेन पैन, स्टाइलो ग्राफ पैन, बाल पाइन्ट पैन, प्रोपेलिंग पैन्सिल एवं इनके पुर्जों व उपसाधनों के विक्रय पर लगने वाले 8 प्रतिशत कर को, व कागज, हॉकी गेन्द, ब्लैडर सहित फुटबॉल, ब्लैडर व नैट सहित वालीबॉल, ब्लैडर सहित बास्केट बॉल व क्रिकेट के बल्ले, गेन्द, गुल्लिकां, स्टम्पस, पैड्स एवं दस्तानों के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को, घटा कर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

127. आम उपभोक्ता को राहत देने की दृष्टि से मैं निम्न वस्तुओं के विक्रय पर लगने वाले कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं :-

(क) जूट ।

(ख) सिलाई के काम में आने वाली सुइयां ।

(ग) महिलाओं के उपयोग में लाई जाने वाली बिन्दी, केशों में लगाने वाले पिन व चुटिले एवं काजल ।

(घ) नमक एवं चीनी के साथ विक्रय की जाने वाली पैकिंग सामग्री ।

128. सार्वजनिक उपयोग के साधनों के महत्व को देखते हुए मैं दुपहिया साईकिल, उसके ट्यूब, टायर, कल पुर्जे एवं उप-साधनों के विक्रय पर लगने वाले कर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत एवं अग्निशमन यन्त्रों के विक्रय पर लगने वाले 10 प्रतिशत कर को घटा कर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

129. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 11 से संशोधन कर बी. आई. एफ. आर. द्वारा घोषित रुग्ण इकाइयों के मामलों में राज्य सरकार की संस्तुति के अनुसार मांग जमा कराने की समय सीमा बढ़ाने के अधिकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को प्रदान करना प्रस्तावित है ।

130. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित एवं कुछ अन्य प्रस्तावों, जिनमें विधि में संशोधन अन्तर्वलित है, को क्रियान्वित करने हेतु बजट भाषण के उपरांत मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 पुरःस्थापित करूंगा ।

131. माननीय सदस्यों ने मेरे बजट भाषण में यह स्पष्टतः महसूस किया होगा कि मैंने कृषि एवं उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने व कामगारों, दस्तकारों एवं हस्त शिल्पियों को रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है । मेरा यह भी प्रयास रहा है कि राज्य से पड़ौसी राज्यों को होने वाले व्यापार व्यपवर्तन में समुचित कमी आये व राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले । साथ ही मैंने कर अपवंचन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एवं परिहार के प्रकरणों में कठोरता से कार्यवाही करने हेतु, कानून में परिवर्तन के रूप में समुचित उपाय भी प्रस्तावित किये हैं।

132. बिक्री कर प्रस्तावित राहत से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 1991-92 में लगभग 4 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। मुझे आशा है कि राजस्व की इस हानि की पूर्ति बिक्री कर विभाग द्वारा बेहतर कर वसूली एवं करापवंचन को रोक कर, कर दी जायेगी।

133. पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गोपाय अग्रिम राशि एवं ओवर-ड्राफ्ट का उपयोग काफी मात्रा में करती रही है और इस पर निर्धारित दर से भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज देना पड़ा है। वर्ष 1988-89 में इस पर 2.5 करोड़ रुपये एवं वर्ष 1989-90 में 1.60 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया। लेकिन वर्ष 1990-91 में हमारी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी रही है एवं भुगतान करने के स्थान पर राज्य सरकार को 3 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन, कुशल वित्तीय प्रबंध एवं अनावश्यक व अनुत्पादक व्यय में कमी करने का ही परिणाम है कि वर्ष 1990-91 के परिवर्तित अनुमानों के अनुसार आंके गये 59.88 करोड़ रुपये के बजट घाटे से घटकर 9.69 करोड़ रुपये रहने की सम्भावना है।

134. मैं पहले इंगित कर चुका हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्त में 34.95 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। बारानी भूमि पर लगान की समाप्ति के कारण अनुमानतः 4.75 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1991-92 के अन्त में 39.70 करोड़ रुपये का समग्र घाटा होने की संभावना है। वर्तमान में, मैं इस घाटे को अपूरित छोड़ना प्रस्तावित करता हूं। कृषि ऋणों में राहत योजना के क्रियान्वयन, बारानी भूमि के लगान की समाप्ति एवं वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना के उत्साहवर्धक अनुपात में बढ़े हुए आकार से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय भार के बावजूद, बिना कोई नया कर लगाये बजट घाटे को नियंत्रित स्तर तक रखना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस घाटे की पूर्ति का प्रयास केन्द्र सरकार से अधिक राशि प्राप्त कर, करों एवं बकाया रकम की बेहतर वसूली कर, करापवंचन रोक कर एवं अन्य उपायों जैसे अल्प बचत योजना इत्यादि में अधिक उपलब्धि प्राप्त कर, किया जावेगा।

135. मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा यह स्पष्ट संकल्प है कि हम राज्य को विकास एवं खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जायेंगे। विभिन्न विकास योजनाओं की सफलता के लिए हम सभी के सतत् प्रयास एवं त्याग की आवश्यकता है। मैं राज्य के उत्थान के पुनीत कार्य हेतु आप सभी को आमंत्रित करता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ राजस्थान के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए मैं, वर्ष 1991-92 का बजट अनुमान विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। जय हिन्द।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 7 मार्च, 1991 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक म. प. 12.34 बजे, बृहस्पतिवार दिनांक 7 मार्च, 1991 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।